सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 412 राँची, गुरुवार, 23 मई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 मई, 2019

कृपया पढ़े:-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-6262,दिनांक 16.08.2018

संख्या-1/आ०-539/2018 का०- 3876-- श्री अरूण कुमार सिंह, भा०प्र०से० (झाः1988), तत्कालीन उपायुक्त, देवघर सम्प्रति अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या-6262 दिनांक 16.08.2018 के द्वारा उपायुक्त, देवघर के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितता के लिए आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिस विहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गयी -

2. श्री अरूण कुमार सिंह, भा०प्र०से० (झाः1988) तत्कालीन उपायुक्त, देवघर सम्प्रति अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के विरूद्ध CBI, ACB धनबाद के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं०-135/2004 में गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिशपथ पत्र दायर करने तथा श्री सिंह द्वारा निर्गत प्रासंगिक आदेश के कारण संथाल परगना प्रमंडल अंतर्गत सरकारी/अहस्तांतरणीय रैयती जमीन के धोखाधड़ी से हस्तांतरित होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

प्राप्त आरोप एवं साक्ष्य के आधार पर आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तैयार किया गया।

आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर प्रारूप पर श्री सिंह, तत्कालीन उपायुक्त, देवघर सम्प्रति अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से बचाव-बयान की माँग की गई। श्री अरूण कुमार सिंह, भा०प्र०से० (झाः1988) तत्कालीन उपायुक्त, देवघर सम्प्रति अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

3. श्री सिंह के विरूद्ध आरोप, श्री सिंह के द्वारा अपने अभ्यावेदन में अपना प्रस्तुत पक्ष एवं विद्वान महाधिवक्ता के मंतव्य का परिशीलन किया गया।

4. आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज के आरोप सं०-1 में श्री सिंह पर जो आरोप लगाये गये हैं वह मुख्य रूप से इस प्रकार हैः-

श्री सिंह के विरूद्ध आरोप है कि-

(i) श्री सिंह के द्वारा जारी आदेश सं०-10 दिनांक-14.01.2004 से यह परिलक्षित हुआ कि किसी भी भूमि की बिक्री/ हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त की जा सकती है।

(ii) श्री सिंह द्वारा अपने आदेश को प्रशासी विभाग के द्वारा सम्पुष्ट नहीं कराया गया, एवं

(iii) अनापत्ति प्रमाण पत्र उपायुक्त-सह-जिला निबंधक के समक्ष भेजे जाने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया।

श्री सिंह के द्वारा आरोप संख्या-1 के सम्बन्ध में प्रस्तुत पक्ष की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि देवघर जिले की बिगड़ती हुई तत्कालीन लोक व्यवस्था संबंधी स्थानीय परिस्थितियों तथा अहस्तान्तरित भूमि के कपटपूर्ण निबंधन की बढ़ती हुई घटना को नियंत्रित करने एवं सरकारी राजस्व के हितों की रक्षा के लिए तथा आम जनता को हस्तांतरणीय भूमि के विक्रय के क्रम में प्रसंगधीन भू-सत्यापन के फलस्वरूप निबंधन में होने वाले विलंब की असुविधा से संरक्षित करने के लिए श्री सिंह के द्वारा प्रश्नगत कार्यालय आदेश सं०-10 दिनांक-14.01.2004 जारी किया गया। उक्त आदेश से यह कदापि परिलक्षित नहीं होता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर किसी भी जमीन की खरीद बिक्री/हस्तांतरण किया जा सकता था। चूँकि राजस्व अभिलेख राजस्व पदाधिकारी यथा अँचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी की अभिरक्षा में होता है अतएव राजस्व पदाधिकारी के स्तर से ही यह स्पष्ट हो सकता है कि कोई जमीन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरणीय हैं या नहीं।

श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि देवघर नगरीय क्षेत्र एवं कतिपय अन्य क्षेत्रों में Record of Rights तैयार ही नहीं हुआ था अतएव उन क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरणीय है या नहीं यह स्पष्ट करने के लिए राजस्व पदाधिकारी ही सक्षम थे तदनुसार प्रश्नगत आदेश जारी किया गया। संबंधित राजस्व पदाधिकारी की यह जाबादेही थी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किसी भूमि विशेष के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियमानुसार जारी करें और इसमें किसी भी अनियमितता के लिए संबंधित राजस्व पदाधिकारी की जबावदेही होती। संथाल परगना काश्तकारी

अधिनियम की धारा-20 में भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रतिबंधों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने हेतु प्रश्नगत आदेश की प्रसंगाधीनता थी।

आरोप सं०-1 के द्वितीय बिन्दु पर श्री सिंह का कहना है कि प्रश्नगत आदेश Excutive Order की श्रेणी में है यह कोई नियम नहीं है जिसे प्रशासी विभाग के द्वारा Ratify कराने की आवश्यकता थी। यह आदेश संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-20 के अधीन भूमि हस्तांतरणीय संबंधी प्रतिबंधों को लागू करने की पहल थी।

आरोप सं०-1 के तृतीय बिन्दु के संबंध में यद्धपि श्री सिंह के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया है किन्तु प्रश्नगत आदेश की भावना से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है या नहीं इसका अनुश्रवण उपायुक्त-सह-जिला निबंधक के स्तर पर हो सके।

संपूर्ण मामले के अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री सिंह के द्वारा जारी प्रश्नगत आदेश के संबंध में निबंधन कार्यालय के किसी पदाधिकारी के द्वारा कालक्रम में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई और न ही निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय द्वारा इसके लिए कोई प्रतिकूल निदेश जारी किया गया। सर्वाधिक प्रमुख बात यह है कि वाद सं०-1325/2004 श्री श्यामसुंदर वर्णवाल बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक-14.05.2004 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में श्री सिंह द्वारा जारी प्रश्नगत आदेश सं०-10 दिनांक-14.01.2004 को यथावत रखा गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध दायर याचिका निरस्त करते हुए आवेदक को कोई भी राहत नहीं दी गयी।

इस प्रकार आरोप सं०-1 के संदर्भ में श्री सिंह के द्वारा प्रस्तुत पक्ष स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

5. आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज के आरोप सं०-2 संक्षिप्त में इस प्रकार है:-

Shri Arun Kumar Singh submitted false and misleading facts vide his counter affidavit filed as DC-cum District Registrar, Deoghar while countering Writ Petition (C) No. 1325 of 2004 filed by shri shyam Sunder Barnwal in the Hon'ble High Court of Jharkhand.

श्री सिंह द्वारा अपने पक्ष में कहा गया है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं०-1325/04 में दिनांक- 14.05.2004 को पारित आदेश में इनके द्वारा दायर शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों का गहन विवेचना एवं संपूर्ण सुनवाई के उपरान्त इनके आदेश सं०-10 दिनांक-14.01.2004 को यथावत रख गया तथा दायर याचिका को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को कोई भी राहत नहीं दी गयी है। श्री सिंह के द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र में धारा-27 का कहीं भी वर्णन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- 14.05.2004 में भी धारा-27 के प्रावधान का कहीं उल्लेख नहीं है अर्थात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री सिंह के प्रतिशपथ पत्र की प्रश्नगत कंडिका को आदेश का आधार नहीं बताया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा दिनांक- 14.05.2004 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर कोई अपील दायर की गई।

आरोप सं०-2 पर इस आधार पर विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त किया जाना उचित समझा गया कि जब माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-14.05.2004 को पारित आदेश में प्रश्नगत आदेश सं०-10 दिनांक-14.01.2004 को यथावत रखा गया, उक्त स्थिति में उक्त आदेश सं०-10 दिनांक- 14.01.2004 को आधार मानकर श्री सिंह पर कार्रवाई प्रारंभ करना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना (Contemptuous) तो नहीं होगी। विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त है जो निम्नवत हैः-

" After perusing the counter affidavit in question which is at page no. 982-973 in the correspondence side of the file, I also do not find any such reference of so called Section 27 of Santhal Pargana settlement regulation III of 1872, thus the stand taken by the delinquent officer appears to be genuine."

" In the present matter the facts appear to be totlally otherwise because the statement which is alleged in the charges to have been made in the relevant counter affidavit is itself not found in the concerned affidavit filed before the court. Making a misstatement about a court's record/counter affidavit or framing such extraneous charge while referring to and affidavit filed before the Hon'ble High Court is no doubt a very serious risk which the querist appears to be taking and in my view and opinon framing of chargess on the basic of letter dated 14.01.2004 and the alleged statement made in the counter affidavit does not appear to be proper and lawful."

उक्त रिट याचिका सं०-1325/04 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक- 14.05.2004 को पारित आदेश एवं विद्वान महाधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में उपर्युक्त आरोप सं०-2 के संबंध में श्री सिंह का पक्ष स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विवेचनाओं के आलोक में समीक्षोपरान्त श्री अरूण कुमार सिंह, भा०प्र०से०, (झाः1988), तत्कालीन उपायुक्त, देवघर सम्प्रति अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज में गठित आरापों से मुक्त किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 412 -- 50